सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, गुंटूर

बनाम

मेसर्स द आंध्र शुगर्स लिमिटेड

05 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण ए0 के0 सीकरी और अशोक भूषण]

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 – नियम 2 (l) – सेनवैट क्रेडिट – इनपुट सेवाएँ – हटाने का स्थान – करदाता ने इनपुट सेवाओं अर्थात् ग्राहकों के स्थान तक परिवहन शुल्क पर भुगतान किए गए सेवा कर का क्रेडिट लिया – स्वीकार्यता – निर्णय : इनपुट सेवा की परिभाषा के अनुसार, अंतिम उत्पादों की निकासी के लिए निर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा 'हटाने के स्थान से' गोदाम या ग्राहक स्थान आदि तक, सेनवैट क्रेडिट के लिए अपरिहार्य थी – यह नहीं कहा जा सकता है कि हटाने के स्थान से परे प्रदान किया गया बाहरी परिवहन सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए इनपुट सेवा के लिए पात्र नहीं है – एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि हटाने का स्थान करदाता का कारखाना परिसर है, तो 'उक्त स्थान से' बाहरी परिवहन इनपुट सेवा के बराबर होगा – वह स्थान निर्माता का गोदाम हो सकता है या यह ग्राहक 8 स्थान हो सकता है यदि हटाने के स्थान से माल सीधे ग्राहक के स्थान पर भेजा जाता है।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत का

निर्णय : 1 अप्रैल, 2008 से पहले प्रासंगिक समय पर प्रचलित 'इनपुट सेवा' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, विभाग की यह दलील कि कारखाने से ग्राहक परिसर तक माल को हटाने के लिए लगाए गए बाहरी परिवहन को इनपुट सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ग्राहक के परिसर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत हटाने के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त परिभाषा के अनुसार, अंतिम उत्पादों की निकासी के लिए निर्माता द्वारा 'हटाने के स्थान से' गोदाम या ग्राहक के स्थान आदि तक उपयोग की जाने वाली सेवा, सेनवैट क्रेडिट के लिए पात्र थी। 'हटाने के स्थान' की व्याख्या करने वाली तीन शर्तों को अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। विभाग का यह मामला नहीं है कि उक्त परिपत्र में निर्धारित तीन शर्तें पूरी नहीं हैं। यदि विभाग के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उक्त परिभाषा में दिखाई देने वाले 'निष्कासन स्थान से' शब्द के प्रभाव को समाप्त कर देगा। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि हटाने का स्थान करदाता का कारखाना परिसर है, तो 'उक्त स्थान से' बाहरी परिवहन स्पष्ट रूप से इनपुट सेवा के बराबर होगा। वह स्थान निर्माता का गोदाम हो सकता है या यह ग्राहक का स्थान हो सकता है यदि हटाने के स्थान से माल सीधे ग्राहक के स्थान पर भेजा जाता है। हटाने के स्थान से ऐसा एक आउटबाउंड परिवहन इनपुट सेवा की परिभाषा द्वारा कवर किया जाता है। [पैरा 6–8] [439–एफ–एच; 442–सी–डी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, बैंगलोर बनाम ए.बी.बी. लिमिटेड वडोदरा 2011 (23) एस टी आर 97 (कर*); केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बेलगाम बनाम मेसर्स वासवदत्त सीमेंट्स लिमिटेड; गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बनाम सी सी ई, लुधियाना* 2007 (6) एसटीआर 249 ट्राई–डी; *मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड बनाम सी सी ई भावनगर* 2007–टीओआईएल–429–सीईएसटीएटी–एएचएम – **का उल्लेख किया गया।**

संदर्भित न्याय विधियाँ

2011 (23) एसटीआर 97 (कर)	**संदर्भित**	**पैरा 3**
2007 (6) एसटीआर 249 ट्राई–डी	**संदर्भित**	**पैरा 8**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11711 वर्ष 2016.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 88 वर्ष 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 16.07.2014 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. नं. 11872, 11873 और 11910 वर्ष 2016.

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. राधाकृष्णन, सुश्री निशा बागची, अरिजीत प्रसाद, सुश्री शिरीन खजूरिया, सुश्री संस्कृति भारद्वाज, सुश्री आयुषी गौड़, सुश्री पूजा शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, कार्तिक कुर्मी, प्रवीण कुमार।

सुश्री किरण सूरी, एस.के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, एसजे अमित, डॉ (श्रीमती) विपिन गुप्ता, बालाजी श्रीनिवासन, वी. लक्ष्मीकुमारन, एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचार्य, विक्टर दास, चाणक्य लक्ष्मीकुमारन, पुनीत डी त्यागी, अपेक्षा मेहता, अजीत कुमार, योगेंद्र ए., एम.पी. देवनाथ, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति. 1. कानून का सवाल जिसे इन सभी अपीलों में तय करने की आवश्यकता है, समान है। यह बिक्री के बाद खरीदार को पहुंचाए जाने वाले माल पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में सेनवैट क्रेडिट से संबंधित है। इसलिए, जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 (1) (इसके बाद 'नियम, 2004' के रूप में संदर्भित) में परिभाषित 'इनपुट सेवा' शब्द में सेवा प्रदाता के संदर्भ में उन सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा जिनका उपयोग परिभाषा में वर्णित कराधान आउटपुट सेवाएं प्रदान करने के संबंध में या उसके संबंध में किया जाता है और खरीदार को बाहरी परिवहन को ' हटाने के स्थान' से परे माना जाएगा।

2. सुविधा के लिए, हम सिविल अपील संख्या 11711 वर्ष 2016 से घटनाओं को पुन: पेश कर सकते हैं। प्रतिवादी मेसर्स आंध्र शुगर्स लिमिटेड अपनी तनुकू, तादुवई और भीमाडोल इकाइयों में चीनी, गुड़ आदि के निर्माता हैं और उनकी कोव्वुर और सागगोंडा इकाइयों में विभिन्न अकार्बनिक रसायनों के निर्माता हैं। वो इनपुट,

पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट प्राप्त कर रहे थे और शुल्क के भुगतान के लिए इसका उपयोग कर रहे थे। राजस्व के संज्ञान में यह आया कि दिसंबर, 2007 की अवधि के दौरान, प्रतिवादी ने अपनी इकाई सग्गोंडा में ग्राहकों के स्थान तक परिवहन प्रभारों पर भुगतान किए गए सेवा कर जैसी इनपुट सेवाओं का क्रेडिट लिया था, जो राजस्व के अनुसार अस्वीकार्य है। तदनुसार, प्रतिवादी को दिनांक 3 नवम्बर, 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उपर्युक्त अवधि के दौरान ब्याज सहित 3,87,763/– रुपए का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने और नियमावली, 2004 के नियम 15 के अंतर्गत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस पर सहायक आयुक्त, एलुरु डिवीजन द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2009 के मूल आदेश सं. 01/2009 के माध्यम से विधिवत निर्णय लिया गया था, जिसमें उक्त कारण बताओ नोटिस में शुरू की गई मांगों की पुष्टि की गई थी।

3. 9 जनवरी, 2009 के मूल आदेश संख्या 01/2009 से असंतुष्ट प्रतिवादी ने आयुक्त (अपील), गुंटूर के समक्ष अपील दायर की। 2 दिसंबर, 2011 के अपील आदेश संख्या 46/2011 (G) ST के तहत प्रतिवादी को परिणामी राहत के साथ मूल आदेश को रद्द करके अपील की अनुमति दी गई। राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), बैंगलोर के समक्ष अपील संख्या ई/510/2012–डीबी वाली अपील को प्राथमिकता देकर 2 दिसंबर, 2011 के अपील आदेश संख्या 46 वर्ष 2011 (G) ST को चुनौती दी। CESTAT ने 14 अगस्त, 2013 के अंतिम आदेश संख्या 26346/2013 के तहत राजस्व द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, *बैंगलोर बनाम एबीबी लिमिटेड, वडोदरा* के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है । इसके अलावा, CESTAT ने पाया कि राजस्व सी.बी.ई.सी. के निर्देशों के अनुसार 17 अगस्त, 2011 के परिपत्र एफ. संख्या 390/विविध/163/2010–जे.सी. के अनुसार अपील दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें शामिल राशि 5 लाख रुपये से कम है। इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर राजस्व अपील संख्या 88/2014 के रूप में मामले को उच्च न्यायालय में ले गया। उच्च न्यायालय ने 16 जुलाई, 2014 के अपने आक्षेपित फैसले के तहत राजस्व द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि "इसी मुद्दे पर, इस न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 31 वर्ष 2013 को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील भी खारिज की जाती है।''

4. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 'इनपुट सेवा' की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो प्रासंगिक अवधि में यानी 1 अप्रैल, 2008 से पहले प्रचलित थी। नियम, 2004 की धारा 2 (1) में निहित यह परिभाषा निम्नानुसार है:

"इनपुट सेवा" का अर्थ है कोई भी सेवा–

(i) आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए कर योग्य सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग किया जाता है; अथवा

(ii) निर्माता द्वारा प्रयुक्त, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पादों के निर्माण और हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों की निकासी के संबंध में, और इसमें कारखाने की स्थापना, आधुनिकीकरण, नवीकरण या मरम्मत, आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर या ऐसे कारखाने या परिसर से संबंधित कार्यालय के संबंध में उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, विज्ञापन या बिक्री संवर्धन, बाजार अनुसंधान, हटाने के स्थान तक भंडारण, इनपुट की खरीद, व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां, जैसे

लेखांकन, लेखा परीक्षा, वित्तपोषण, भर्ती और गुणवत्ता नियंत्रण, कोचिंग और प्रशिक्षण, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री, और सुरक्षा, इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं का आंतरिक परिवहन और हटाने के स्थान से बाहरी परिवहन;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत 'हटाने का स्थान' वाक्यांश परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि–

'हटाने की जगह' का अर्थ है, –

(i) कोई कारखाना या कोई अन्य स्थान या निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण का परिसर;

(ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जिसमें निर्यात योग्य वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के बिना संग्रहीत करने की अनुमति दी गई है;

(iii) एक डिपो, एक खेप एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से कारखाने से उनकी मंजूरी के बाद निर्यात योग्य माल बेचा जाना है; जहां से इस तरह का सामान हटाया जाता है।

5. हम केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2007 को जारी परिपत्र संख्या 97/8/2007–एसटी (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसके अनुसार "इनपुट सेवा" की परिभाषा को स्पष्ट किया गया था और परिपत्र में उन शर्तों को भी प्रदान किया गया था जिन्हें 'हटाने के स्थान' के भीतर मामले को कवर करने के लिए संतुष्ट किया जाना है। परिपत्र में निहित तीन शर्तें (1) खरीदार के दरवाजे पर माल की डिलीवरी तक माल के स्वामित्व के संबंध में हैं; (ii) गंतव्य तक पारगमन के दौरान माल के जोखिम या हानि या क्षति को वहन करने वाला विक्रेता; (iii) माल भाड़ा माल के मूल्य का अभिन्न अंग होना चाहिए।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन मामलों में, करदाता अपने कारखाने से ग्राहकों के परिसर तक बाहरी परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का दावा कर रहे हैं। विभाग के अनुसार, कारखाने से ग्राहक परिसर तक माल को हटाने के लिए लगाए गए बाहरी परिवहन को इनपुट सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ग्राहक के परिसर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत हटाने के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे अलग तरीके से रखने के लिए, विभाग का तर्क है कि हटाने के स्थान से परे प्रदान किया गया बाहरी परिवहन सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए इनपुट सेवा के लिए पात्र नहीं है।

7. 1 अप्रैल, 2008 से पहले प्रासंगिक समय पर प्रचलित 'इनपुट सेवा' की परिभाषा के संबंध में, विभाग के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिभाषा के अनुसार, अंतिम उत्पादों की निकासी के लिए निर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा "हटाने के स्थान से" गोदाम या ग्राहक के स्थान आदि तक, सेनवैट क्रेडिट के लिए अपरिहार्य थी। यह अंततः 17 जनवरी, 2018 के फैसले द्वारा सिविल अपील संख्या 11710 वर्ष 2016 (*केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बेलगाम बनाम मेसर्स वासवदत्ता सीमेंट्स लिमिटेड*) में तय किया गया है। यह मामला बोर्ड के दिनांक 23 अगस्त, 2007 के परिपत्र में पूरी तरह से शामिल है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है–

विवाद्यक : सड़क मार्ग से माल परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर पर निर्माता/प्रेषक किस स्तर तक क्रेडिट ले सकता है?

टिपण्णी: *मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बनाम सीसीई, लुधियाना* [2007 (6) एसटीआर 249 ट्राई–डी] के मामले में CESTAT द्वारा इस मुद्दे की बहुत विस्तार से जांच की गई है। इस मामले में, CESTAT ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं– विनिमत वस्तुओं का बिक्री पश्चात परिवहन विनिर्माता/प्रेषक के लिए इनपुट नहीं है। 'इनपुट सेवाओं' की परिभाषा के दो खंड इनपुट क्रेडिट को सीमित करने का ध्यान रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निष्कासन के स्थान से निकासी के संबंध में उपयोग की जाने वाली सेवा और निष्कासन के स्थान तक बाहरी परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा को इनपुट सेवा के रूप में माना जाना है। पहले खंड में विशेष रूप से परिवहन सेवा का उल्लेख नहीं है। दूसरा खंड परिवहन सेवा क्रेडिट को हटाने के स्थान तक प्रतिबंधित करता है। जब इन दो खंडों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवहन सेवा क्रेडिट परिवहन से परे हटाने की जगह तक नहीं जा सकता है। दो खंड, एक सामान्य प्रावधान से संबंधित है और दूसरा किसी विशिष्ट मद से संबंधित है, को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए ताकि कानूनों की योजना को हराने के लिए संघर्ष पैदा किया जा सके। व्याख्या का उद्देश्य विभिन्न प्रावधानों के बीच सद्भाव और सामंजस्य खोजना है। इसी तरह, *मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड बनाम सी.सी.ई. भावनगर* 2007–टीओआईएल–429–सीईएसटीएटी–एएचएम के मामले में, यह माना गया था कि अंतिम उत्पादों को हटाने के स्थान से मंजूरी मिलने के बाद, सेवा के बाद के उपयोग को इनपुट के रूप में माना जाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उपर्युक्त टिप्पणियां और विचार संबंधित प्रावधानों के दायरे को स्पष्ट रूप से, सही ढंग से और कानूनी प्रावधानों के अनुसार समझाते हैं। अंत में, एक निर्माता / प्रेषक माल के बाहरी परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर पर क्रेडिट ले सकता है, न कि हटाने के स्थान तक। 8.2 इस संबंध में, वाक्यांश 'हटाने का स्थान' को किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण की आवश्यकता है। वाक्यांश "हटाने का स्थान" को सेनवैट क्रेडिट नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। उक्त नियमों के नियम 2 के उप–नियम (t) के अनुसार, यदि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है और उसमें परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 में परिभाषित किया गया है, तो उनका सेनवैट क्रेडिट नियमों के लिए वही अर्थ होगा जो उन्हें उन अधिनियमों में दिया गया है। वाक्यांश 'हटाने का स्थान' केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है, इसमें कहा गया है कि, "हटाने का स्थान" का अर्थ है– (i) एक कारखाना या कोई अन्य स्थान या उत्पादन या उत्पादन का परिसर या निर्यात योग्य वस्तुओं का निर्माण; (ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जिसमें निर्यात योग्य वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के बिना संग्रहीत करने की अनुमति दी गई है; (iii) एक डिपो, एक खेप एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से कारखाने से उनकी मंजूरी के बाद निर्यात योग्य माल बेचा जाना है; जहां से इस तरह का सामान हटाया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी निर्माता/प्रेषक के लिए, निर्यात योग्य वस्तुओं को हटाने के दौरान परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ उठाने की पात्रता परिभाषा के अनुसार हटाने के स्थान पर निर्भर करेगी। फैक्ट्री गेट की बिक्री के मामले में, गैर–शुल्क भुगतान वाले गोदाम से बिक्री, या ड्यूटी पेड डिपो से (जहां से कारखाने से उनकी मंजूरी के बाद निर्यात योग्य सामान बेचा जाता है), 'हटाने के स्थान' के निर्धारण में ज्यादा समस्या नहीं होती है। हालांकि, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां निर्माता / प्रेषक दावा कर सकता है कि बिक्री

गंतव्य बिंदु पर हुई है क्योंकि बिक्री अनुबंध / समझौते के संदर्भ में (i) माल का स्वामित्व और माल में संपत्ति माल के विक्रेता के पास तब तक बनी रहती है जब तक कि खरीदार को उसके दरवाजे पर स्वीकार्य स्थिति में माल की डिलीवरी नहीं हो जाती; (ii) विक्रेता ने गंतव्य के लिए पारगमन के दौरान माल के नुकसान या क्षति का जोखिम वहन किया; और (iii) माल भाड़ा प्रभार माल की कीमत का एक अभिन्न अंग था। ऐसे मामलों में, बिक्री के ऐसे स्थान तक परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर का क्रेडिट स्वीकार्य होगा यदि यह ऐसे क्रेडिट के दावेदार द्वारा स्थापित किया जा सकता है कि माल में संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषा के संदर्भ में, 1944 के साथ–साथ माल की बिक्री अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के संदर्भ में भी उक्त स्थान पर हुआ था।

8. जैसा कि परिपत्र के उपर्युक्त भाग को पढ़ने से देखा जा सकता है, *गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड* में CESTAT के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की जांच की गई थी। जाहिर है, ये फैसले नियम, 2004 के असंशोधित नियम 2(1) से संबंधित थे। "हटाने के स्थान" की व्याख्या करने वाली तीन शर्तों को अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। विभाग का यह मामला नहीं है कि उक्त परिपत्र में निर्धारित तीन शर्तें पूरी नहीं हैं। यदि हम विभाग के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो यह उपरोक्त परिभाषा में दिखाई देने वाले हटाने के स्थान से 'शब्द' के प्रभाव को समाप्त कर देगा। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि हटाने का स्थान करदाता का कारखाना परिसर है, तो 'उक्त स्थान से' बाहरी परिवहन स्पष्ट रूप से इनपुट सेवा के बराबर होगा। वह स्थान निर्माता का गोदाम हो सकता है या यह ग्राहक का स्थान हो सकता है यदि हटाने के स्थान से माल सीधे ग्राहक के स्थान पर भेजा जाता है। हटाने के स्थान से ऐसा एक आउटबाउंड परिवहन इनपुट सेवा की परिभाषा द्वारा कवर किया जाता है।

9. इस प्रकार, हम आक्षेपित निर्णय में कोई खामी नहीं पाते हैं। अपीलों में कोई गुण नहीं है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन अपील खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733